श्री राजेश कुमार, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ की अध्यक्षता में दिनांक 27.10.2014 को आयोजित साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :-

यथा पंजी के अनुसार।

**समीक्षोपरान्त बैठक में निम्न निदेश दिये गये :-**

☞ **खाद्यान्न उठाव एवं वितरण** :- विगत साप्ताहिक बैठक में दिये गये निदेश के आलोक में पाया गया कि खाद्यान्न उठाव एवं वितरण कार्य की प्रगति संतोषप्रद नहीं है। विगत समीक्षात्मक बैठक में स्पष्ट निदेश दिया गया था कि पंचायत/वार्ड सतर्कता समिति से शत-प्रतिशत वितरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाय। आज की बैठक में समीक्षोपरान्त पाया गया कि गत बैठक में दिये गये निदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। बैठक में बताया गया कि माह सितम्बर 2014 का 56% एवं अक्टुबर 2014 का 93.65% खाद्यान्न उठाव हुआ है। अक्टुबर माह का वितरण शून्य है। अक्टुबर माह के लिए अभी तक एक भी भंडार निर्गमणादेश (S.I.O.) निर्गत नहीं हुआ है, जो अत्यंत ही असंतोषजनक एवं दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी एवं जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पूर्णियाँ द्वारा इस संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी बैठक में नहीं दी गई। उक्त पदाधिकारी स्पष्टीकरण दें तथा भविष्य में तत्परतापूर्वक दायित्व निर्वहन करें।

जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि आगामी साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक से पूर्व पंचायत/वार्ड सतर्कता समिति से शत-प्रतिशत वितरण प्रमाण पत्र प्राप्त कर अवलोकनार्थ उपस्थापित करेंगे।

जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पूर्णियाँ को पूर्व के बैठक में भी (S.I.O.) निर्गत करने में बरती जा रही लापरवाही के लिए निदेश दिया गया था। इसके बावजूद भी अक्टुबर माह में कोई (S.I.O.) निर्गत नहीं हुआ है। बैठक में जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम द्वारा इस संबंध में कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं दी गई। जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पूर्णियाँ इस संबंध में स्पष्टीकरण देंगे।

☞ **निर्वाचन** :- समीक्षा के क्रम में उपनिर्वाचन पदाधिकारी, पूर्णियाँ द्वारा बताया गया कि 140 नवनियुक्त बी0एल0ओ0 का यूजर आई0डी0 तैयार करने हेतु रंगीन फोटो की मांग सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों से की गई थी। सिर्फ बनमनखी प्रखंड से बी0एल0ओ0 का रंगीन फोटो प्राप्त हुआ है। अनुमंडल पदाधिकारी, धमदाहा/सदर, पूर्णियाँ एवं बायसी/संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अपने-अपने प्रखंडों के नवनियुक्त बी0एल0ओ0 का रंगीन फोटो अविलम्ब जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराने की दिशा में कार्रवाई करेंगे। अक्षांश-देशांतर से संबंधित प्रतिवेदन के संबंध में बताया गया कि कसबा, रूपौली एवं अमौर प्रखंड से प्रतिवेदन अप्राप्त है। अनुमंडल पदाधिकारी धमदाहा/सदर, पूर्णियाँ एवं बायसी/संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों उक्त प्रतिवेदन शीघ्र भेजने की कार्रवाई करेंगे। Duplicate EPIC बनाने हेतु जमा राशि संबंधी प्रतिवेदन किसी भी प्रखंड/अनुमंडल से प्राप्त नहीं हुआ है। सभी अनुमंडल पदाधिकारियों/ प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि उक्त प्रतिवेदन अविलम्ब जिला निर्वाचन कार्यालय, पूर्णियाँ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। बैठक में बताया गया कि SVEEP का उपयोगिता प्रमाण पत्र सिर्फ

भवानीपुर प्रखंड से प्राप्त है। अनुमंडल पदाधिकारी, धमदाहा/प्रखंड विकास पदाधिकारी, भवानीपुर को निदेश दिया गया कि उपयोगिता प्रमाण पत्र दो दिनों के अन्दर जिला निर्वाचन कार्यालय, पूर्णियाँ में भेजना सुनिश्चित करेंगे।

बैठक में बताया गया कि सिर्फ निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर हेतु प्रपत्र सुधार कर जमा नहीं किया गया है। निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को निदेश दिया गया कि उक्त प्रपत्र तुरन्त जिला निर्वाचन कार्यालय, पूर्णियाँ में सही ढंग से भरकर जमा करेंगे।

☞ **एम0जे0सी0/सी0डब्लू0जे0सी0** :- विधि शाखा द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि विगत साप्ताहिक बैठक में लम्बित M.J.C. के मामलों में जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पूर्णियाँ के यहाँ लम्बित 02 M.J.C. वाद में कारणपृच्छा दायर करने हेतु प्राधिकृत किया जा चुका है। उक्त दोनों वाद में शीघ्र कारणपृच्छा दायर कर तत्संबंधी प्रतिवेदन ओथ संख्या के साथ जिला विधि शाखा, पूर्णियाँ में समर्पित करने का निदेश दिया गया। अन्य चार लम्बित मामलों में पूर्व में दिये गये निदेश के बावजूद भी कारणपृच्छा दायर करने हेतु तथ्य विवरणी अनुमोदित नहीं हुआ है। संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि कारणपृच्छा दायर करने हेतु तुरन्त तथ्य विवरणी अनुमोदित कराकर कारणपृच्छा दायर करना सुनिश्चित करेंगे। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोई प्रतिकूल आदेश पारित होने पर संबंधित पदाधिकारियों के विरूद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की जायगी। प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, पूर्णियाँ अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। कुल लम्बित 92 C.W.J.C. में सबसे अधिक 10 C.W.J.C. का मामला भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर के यहाँ लम्बित है। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर को एक सप्ताह के अन्दर सभी लम्बित मामलों में तथ्य विवरणी अनुमोदित कराने का निदेश दिया गया। अन्य लम्बित मामलों में भी सदृश कार्रवाई हेतु प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा को निदेश दिया गया।

☞ **भूमि बेदखली अभियान :-** पूर्व के समीक्षात्मक बैठक में भूमि बेदखली अभियान के तहत् भूहदबंदी अधिनियम के अन्तर्गत अधिशेष भूमि/भूदान से प्राप्त भूमि पर दखल दिलाने संबंधी लम्बित मामलों के निष्पादित हेतु निदेशित किया गया था, परन्तु बैठक में इस संबंध में कोई अनुपालन संबंधी कोई जानकारी नहीं दी गई। बैठक में भू-अर्जन पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल पदाधिकारी को अनुमंडलवार लम्बित मामला की सूची तैयार कर दखल दिलाने हेतु त्वरित कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

☞ **बिहार भूमि प्राधिकरण (B.L.T.)** :- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पूर्व से ही बिहार भूमि प्राधिकरण से संबंधित 18 वाद निष्पादन हेतु लम्बित है। इस बैठक में स्थिति यथावत पाई गई। पुनः प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, पूर्णियाँ को निदेश दिया गया कि संबंधित अंचलाधिकारी एवं भूमि सुधार उपसमाहर्त्ताओं को त्वरित निष्पादन का निदेश देते हुए लम्बित वादों का निष्पादन कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त लम्बित वादों में यदि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोई प्रतिकूल आदेश परित होगा तो संबंधित पदाधिकारी इसके लिए जवाबदेह होंगे एवं उनके विरूद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की जायगी।

☞ **समेकित बाल विकास कार्यक्रम :-** समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णियाँ को आँगनबाड़ी केन्द्रों का शत-प्रतिशत निरीक्षण से संबंधित प्रतिवेदन समर्पित करने एवं अपने स्तर से

निगरानी एवं अनुश्रवण करने संबंधी दिये गये निदेश के बावजूद भी आज की बैठक में इनके द्वारा न तो कोई प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया और न ही कोई संतोषप्रद जवाब दिया गया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णियाँ इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करेंगे।

☞ **लोक सेवा अधिकार अधिनियम (R.T.P.S.)** :- पूर्व के समीक्षात्मक बैठक में निदेश दिये जाने के बावजूद भी अनुमंडल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उपसमाहर्त्ताओं द्वारा आर0टी0पी0एस0 कार्यों का नियमित रूप से निरीक्षण नहीं किया जा रहा है। आर0टी0पी0एस0 के तहत् समय पर सेवा प्रदान नहीं किये जाने संबंधी शिकायतें प्राप्त हो रही है। बैठक में सभी भूमि सुधार उपसमाहर्त्ताओं द्वारा आर0टी0पी0एस0 कार्य का निरीक्षण करने, Epired आवेदनों पर आर0टी0पी0एस0 अधिनियम के अन्तर्गत स्वतः संज्ञान लेकर अपीलवाद चलाने संबंधी दिये गये निदेश एवं दोषी पदाधिकारी/कर्मियों को आर्थिक दण्ड अधिरोपित करने संबंधी की गई कार्रवाई के प्रगति की समीक्षा की गई। सभी भूमि सुधार उपसमाहर्त्ताओं द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। इससे स्पष्ट होता है कि सभी भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता आर0टी0पी0एस0 के तहत् विधिसम्मत कार्रवाई नहीं कर दोषी पदाधिकारी एवं कर्मियों को बचाने की मंशा से अधिनियम का उल्लंघन कर रहे है। फलतः भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर, पूर्णियाँ/बायसी/बनमनखी एवं धमदाहा को निदेश दिया गया कि वे अपना स्पष्टीकरण समर्पित करेंगे कि क्यों नहीं आर0टी0पी0एस0 अधिनियम के उल्लंघन के आरोप में उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाय?

☞ **महादलितों के लिए क्रय किए गए जमीन का भौतिक सत्यापन** :- पूर्व के समीक्षात्मक बैठक में दिये गये निदेश के बावजूद भी महादलितों के लिए क्रय किये गये जमीनों का भौतिक सत्यापन संबंधी प्रतिवेदन किसी भी अनुमंडल से प्राप्त नहीं हुआ। पूर्व में दिये गये निदेश के आलोक में सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को महादलितों के जमीन एवं उनके बनाये गये घर का भौतिक सत्यापन कर तत्संबंधी प्रतिवेदन एवं फोटोग्राफ अपलोड गुगल वेबसाईट पर कराने का निदेश दिया गया। जिला आई0टी0 प्रबंधक, पूर्णियाँ गुगल साईट पर नियमित रूप से इसकी जाँच कर अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

☞ **समाजिक सुरक्षा** :- समीक्षा के क्रम में सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा द्वारा बताया गया कि समाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत चल रहे योजनाओं में दी गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी भी प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा नहीं दिया गया है। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को कड़ी चेतावनी के साथ निदेश दिया जाता है कि सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत क्रियान्वित सभी योजनाओं में प्राप्त राशि का लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र एक सप्ताह के अन्दर जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। सभी अनुमंडल पदाधिकारी व्यक्तिगत अभिरूचि लेकर इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

☞ **डीजल अनुदान (कृषि)** :- कई प्रखंडों में राशि उपलब्ध रहने के बावजूद भी किसानों को डीजल अनुदान की राशि का भुगतान नहीं होने की शिकायतें प्राप्त हो रही है। यह अत्यंत ही दुःखद स्थिति है। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि डीजल अनुदान की राशि विधिवत् पारदर्शी ढंग से एक सप्ताह के अन्दर भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे। सभी प्रखंडों के नोडल पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि डीजल अनुदान की भुगतान की जाँच कर जाँच प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ समर्पित करेंगे। समय पर डीजल अनुदान भुगतान नहीं करने वाले प्रखंड विकास पदाधिकारियों के विरूद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई की जायगी।